रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2004/ज्येष्ठ 26, 1926
No. 251] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2004/JYAISTHA 26, 1926

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2004

सा. का. नि. 362(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में, जो विद्युत मंत्रालय के अधीन एक निगमित निकाय है, सचिव की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सचिव की नियुक्ति) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. सेवा की वे शर्तें जिनके लिए इन नियमो में उपबंध नहीं किया गया है, जिसके अन्तर्गत छुट्टी संबलम्, छुट्टी यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाओं की हकदारी भी हैं, वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार में तत्समान प्रास्थिति के किसी समूह "क" अधिकारी को अनुज्ञेय है।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सचिव	1 (एक)	समूह क	रु. 14,300-400-18,300	चयन	लागू नहीं होता

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी है या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति.**—केन्द्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी, जो भारत सरकार में उप सचिव से नीचे की पंक्ति का कोई पद धारण नहीं कर रहें हों। **वांछनीय.**—(i) विद्युत उत्पादन पर पारेषण वितरण या ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव। (ii) प्रशासनिक, वित्तीय और बजट से संबंधित मामलों में 5 वर्ष का अनुभव। **प्रतिनियुक्ति की अवधि.**—सचिव की पदावधि उस तारीख से जिसको वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करता है, तीन वर्ष होगी या अपने मूल कॉडर में अधिवर्षिता की	**प्रतिनियुक्ति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :**— 1. सचिव/विशेष सचिव, विद्युत मंत्रालय —अध्यक्ष 2. महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो —सदस्य 3. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारसाधक-ऊर्जा दक्षता ब्यूरो —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(12)
तारीख होगी, जो भी पहले हो। आवश्यक समझा जाए वहां प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

[फा. सं. 13/7/2001-ईएम]

गिरिश भा. प्रधान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2004

G.S.R. 362(E).—In exercise of the powers conferred by Section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules regulating the appointment of Secretary, Bureau of Energy Efficiency, a body corporate under the Ministry of Power, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency (Appointment of Secretary) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule aforesaid.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. The conditions of service for which the provisions have not been made in these rules, including entitlement of leave salary, leave travel concession, travelling allowances, medical facilities, shall be such as are admissible to a Group 'A' officer of the corresponding status in the Central Government.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of the Post	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Secretary	1 (One)	Group A	Rs.14,300-400-18,300	Selection	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)	(14)
By deputation	**Deputation.**—The officers of Central or State Governments holding a post not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India. **Desirable.**— (i) Experience in the field of generation, transmission, distribution of power or enegy conservation; (ii) Experience in administrative, financial and budgetary matters. **Period of deputation.**—The term of office of Secretary shall be three years, from the date on which he enters upon his office or the date of his superannuation in his parent cadre, whichever is earlier. The term of deputation may be extended where considered necessary upto a period of five years.	Departmental Promotion Committee for deputation.— 1. Secretary/Special Secretary Ministry of Power —Chairman 2. Director-General, Bureau of Energy Efficiency. —Member 3. Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Power in-charge of Energy Conservation —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 13/7/2001-EM]

GIREESH B. PRADHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.